रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

11-6-87

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1987/चैत्र 10, 1909
No. 66] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1987/CHAITRA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1987

अधिसूचना

संख्या एफ. 4(13)-डब्ल्यू. एण्ड एम./87-:—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या एफ. 4(3)-डब्ल्यू. एण्ड एम./84 के अन्तर्गत शुरू की

गई राष्ट्रीय जमा योजना पहली अप्रैल, 1987 को और से समाप्त कर दी जाएगी और कोई भी व्यक्ति इस तारीख को और इस तारीख से ऐसा कोई खाता नहीं खोलेगा ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

वी. बालसुब्रह्मण्यन, अपर बजट अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 31st March, 1987

NOTIFICATION

No. F. 4(13)-W&M|87.—Central Government hereby notifies that National Deposit Scheme introduced under Government of India Notification No. F. 4(3)-W&M|84 dated the 15th June, 1984 shall be discontinued on and from the 1st April, 1987 and no person shall open any such account on and from that date.

By order of the President.

V. BALASUBRAMANIAN, Addl. Budget Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987